

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 37()परावि/प्रशा-2/मंत्रा/स्था 11 /2016/4118 जयपुर दिनांक 7-10-16

:: आदेश ::

निम्नलिखित कार्मिको के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव प्रशासनिक/राज्यहित में किये जाते है ।

क्रसं	नाम कार्मिक	पद	कहां से	कहां को
1.	शगीम बानो	च.श्रे.क.	प.स.राजसमंद)	प.स. डूंगरपुर
2.	कौशल्या देवी	च.श्रे.क.	बी.ई.ओ.कार्यालय पीसांगन, (अजमेर)	प.स.सांभर, (जयपुर)
3	कालूराम गुर्जर	च.श्रे.क.	बी.ई.ओ.कार्यालय प.स.जवाजा (अजमेर)	प.स.शाहपुरा बी.ई.ओ. कार्यालय, (भीलवाडा)
4.	कलावती गर्ग	च.श्रे.क.	प.स.माण्डल (भीलवाडा)	प.स.चित्तोड (चित्तोड)
5.	विमला देवी	च.श्रे.क.	प.स.बामनवास(स.मा.)	प.स.करौली (करौली)
6.	पुष्पा देवी	च.श्रे.क.	प.स.बौली(स.मा.)	प.स.नगर (भरतपुर)
7.	पुष्पा वैष्णव	च.श्रे.क.	प.स.मावली (उदयपुर)	प.स.भोपालसागर (चित्तोड)
8	रविन्द्र कुमार सांसी	च.श्रे.क.	प.स.सरवाड (अजमेर)	बी.ई.ओ.देवली (टोंक)
9	रामादेवी	च.श्रे.क.	प.स.गंगापुर (स.मा.)	प.स.हिण्डौन (करौली)
10	रेखा सैन	च.श्रे.क.	प.स.हिण्डौन (करौली.)	प.स. गंगापुर (स.मा.)
11.	सुमित्रा देवी	च.श्रे.क.	प.स.लूणी (जोधपुर)	प.स.कोटपुतली
12.	सुशीला देवी कुम्हार	च.श्रे.क.	प.स.कोटडी (भीलवाडा)	प.स.मालपूरा (टोंक)
13.	देवी नागर	च.श्रे.क.	प.स.शाहपुरा बी.ई.ओ. (भीलवाडा)	बी.ई.ओ.प.स.जवाजा (अजमेर)
14.	नूतन स्वामी	च.श्रे.क.	प.स.सुवाणा (भीलवाडा)	प.स. जालसू (जयपुर)
15.	गणेशलाल मीणा	च.श्रे.क.	प.स.रेलमगरा (राजसमंद)	प.स. सराडा (उदयपुर)
16.	शरीफ मोहम्मद	वाहन चालक	प.स.अराई (अजमेर)	प.स. मौलारार (नागौर)

mta

17.	हनुमान प्रसाद शर्मा	वाहन चालक	प.स.तालेडा (बूंदी)	प.स.लाडपुरा (कोटा)
18	प्रेमसिंह राजपूत	वाहन चालक	प.स.गिर्वा (उदयपुर)	प.स. धरियावद (प्रतापगढ)
19	सतीशचंद चौधरी	वाहन चालक	प.स.महुआ (दोसा)	प.स.सेवर (भरतपुर)
20	शांतीदेवी	च.श्रे.क.	प.स.राजसमंद	प.स. जैतारण (पाली)
21	कृष्ण मुरारी	च.श्रे.क.	प.स.छीपाबडौद (बांरा)	प.स.सांगोद प.स. (कोटा)
22.	उगमी देवी	च.श्रे.क.	प.स.गंगरार (चित्तोड)	प.स.माण्डल (भीलवाडा)
23	महेश पंवार	निजी सहायक	जि.प.डूंगरपुर	जि.प.प्रतापगढ

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

1. उक्त आदेशों की पालना में यदि पद रिक्त नहीं है तो पारस्परिक अथवा अधिकतम ठहराव वाले कार्मिक को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।
2. उक्त कार्मिकों की संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कोई त्रुटी नहीं हो ।
3. उक्त आदेश मा.न्यायालय से प्राप्त स्थगन की पालना में कार्यरत कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होंगे
4. उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण पर योगकाल देय नहीं होगा ।
5. यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई कार्मिक अधिशेष नहीं हो ।

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक मा. मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर ।
3. मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संबंधित ।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित,
5. संबंधित कार्मिक द्वारा प०स० संबंधित ।
6. प्रोग्रामर आदेश अपलोड करने हेतु ।
6. आदेश पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव